न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 24 / 2023

1 विद्या देवी पत्नी बच्चन सिंह आयु 56 साल जाति राजपूत निवासी आलमपुरा, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.

अपीलांट

बनाम

1 रामप्यारी पुत्री बहादूर पत्नी श्री मातुराम आयु साल जाति मेघवाल निवासी आलमपुरा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.01.2023
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, चिड़ावा
मुकदमा उनवानी विद्या देवी बनाम रामप्यारी
वगे. प्रार्थना पत्र अ.धा. 212 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम मु.नं. 51 / 2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

उपस्थिति :

1. श्री पूजा शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश डांगी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 24.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा 51/2021 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आलमपुरा पटवार हल्का बदनगढ़ तहसील चिड़ावा की भूमि खसरा नम्बर 227/106, 228/107, 228/106 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर आदेश पारित करने के लिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दू को विधिक प्रावधानों के मुताबिक निर्णित करना चाहिये था किन्तु

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय ने उक्त तीनों बिन्दू को विधिक प्रावधानों के अभाव में पारित करने के कारण से विचारण न्यायलाय का आदेश दिनांक 12.01.2023 खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायलाय के समक्ष अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र तथा दस्तावेजी साक्ष्य तथा बहस के आधार पर साबित किया है कि प्रार्थीया/अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा यदि प्रार्थीया/अपीलान्ट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया जाता है तो प्रार्थीया/अपीलान्ट को अपूरर्णीय क्षति होगी। अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष साबित किया है कि अपीलान्ट कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 227/106 रकबा 0.020 हैक्टेयर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वयं व अपने परिवार की सहायता से अपीलान्ट कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 227/106 पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहती है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के परिवार के सदस्यों ने नाजायज रूप से कटानी रास्ता खसरा नम्बर 228/107 रकबा 0.60 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता पर कब्जा कर रखा है तथा उसी की आड़ में अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 227/106 रकबा 0.020 हैक्टेयर पर ताकत व राजनीतिक संरक्षण की सहायता से कब्जा करने की फिराक में है। इस प्रकार से अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया मामला साबित किया है। जिस पर गौर नहीं करने के कारण से विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 12.01.2023 खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 227/106, 228/107, 228/106 के संदर्भ में अतिक्रमण नहीं करने विक्रय नहीं करने का स्थगन जारी करने का अनुतोष चाहा है। इसके साथ ही इस आवेदन में तहसीलदार चिड़ावा से मौके का सीमाज्ञान करवाने का एवं बंद कटानी रास्ता खुलवाने का आदेश प्रदान करने का अनुतोष चाहा है। स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा अस्पष्ट एवं विधि विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायलाय की पत्रावली में नायब तहसीलदार मण्ड्रेला, भू अभिलेख निरीक्षक नरहड़ की मौका रिपोर्ट संलग्न है। इसके अनुसार खसरा नम्बर 227/106 में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पुत्र का कब्जा काश्त होना अंकित है। इस रिपोर्ट पर पटवारी सरपंच एवं 13 उपस्थिति ग्रामीणों के हस्ताक्षर है। यह रिपोर्ट दिनांक 21.06.2022 की है। इसके उपरांत दिनांक 15.07.2022 की मौका रिपोर्ट भी पत्रावली में है। इसमें भी यही अंकन है। इसके उपरांत दिनांक 08.08.2022 की नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पत्रावली में है। इसमें खसरा नम्बर 226/106 सड़क बनने से मौके पर रास्ता कायम होने का अंकन है। इन मौका रिपोर्टो का कोई खण्डन विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर भूमि खसरा नम्बर 227/106, 228/107, 228/106 के संदर्भ में अतिक्रमण नहीं करने विक्रय नहीं करने का स्थगन जारी करने का अनुतोष चाहा है। इसके साथ ही इस आवेदन में तहसीलदार चिड़ावा से मौके का सीमाज्ञान करवाने का एवं बंद कटानी रास्ता खुलवाने का आदेश प्रदान करने का अनुतोष चाहा है। स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा अस्पष्ट एवं विधि विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। विचारण न्यायलाय की पत्रावली में नायब तहसीलदार मण्ड्रेला, भू अभिलेख निरीक्षक नरहड़ की मौका रिपोर्ट संलग्न है। इसके अनुसार खसरा नम्बर 227/106 में अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के पुत्र का कब्जा काश्त होना अंकित है। इस रिपोर्ट पर पटवारी सरपंच एवं 13 उपस्थिति ग्रामीणों के हस्ताक्षर है। यह रिपोर्ट दिनांक 21.06.2022 की है। इसके उपरांत दिनांक 15.07.2022 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

मौका रिपोर्ट भी पत्रावली में है। इसमें भी यही अंकन है। इसके उपरांत दिनांक 08.08.2022 की नायब तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पत्रावली में है। इसमें खसरा नम्बर 226/106 सड़क बनने से मौके पर रास्ता कायम होने का अंकन है। इन मौका रिपोर्टो का कोई खण्डन विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर